

## लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

संख्या-1(II)/परीक्षा/ई-6/एल.टी. चयन/2017-18

इलाहाबाद: दिनांक 31 मई, 2018

### विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या-ए-1/ई-1/2018 दिनांक 15.03.2018 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष/महिला) परीक्षा-2018 जो 29 जुलाई, 2018 को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होनी है। उक्त के सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में सहायक अध्यापक हिन्दी एवं सहायक अध्यापक कला विषय में याचियों और other similarly placed students तथा सहायक अध्यापक कंप्यूटर एवं आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित प्रकरणों में केवल याचीगणों का औपबंधिक ऑनलाइन आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाना है। तदक्रम में आयोग द्वारा दिनांक 04.06.2018 से दिनांक 14.06.2018 तक का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियों/याचियों हेतु एक विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आयोग की वेबसाइट पर जाकर निम्नानुसार प्राप्त की जा सकती है:-

आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> पर "**Click here to apply for Assistant Teacher (Trained Graduate Grade) Examination-2018 under Advt. No.(A-1/E-1/2018) Dated 15.03.2018**" पर क्लिक करके दिए गए निर्देशों का अध्ययन एवं पालन करते हुये ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी "**Click Here For View Process Flow**" पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है।

(अंजू कटियार)  
परीक्षा नियंत्रक

# लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

संख्या-1(III)/परीक्षा/ई-6/एल.टी. चयन/2017-18

इलाहाबाद: दिनांक 31 मई, 2018

## विज्ञप्ति

आयोग के विज्ञापन संख्या-ए-1/ई-1/2018 दिनांक 15.03.2018 के अन्तर्गत विज्ञापित सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष/महिला) परीक्षा-2018 जो 29 जुलाई, 2018 को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित होनी है, के सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-9739/2018 बालकृष्ण व 94 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.04.2018, रिट याचिका संख्या 13651/2018 महेन्द्र कुमार व 02 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 16.04.2018 जो क्रमशः सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष/महिला) परीक्षा 2018 में, सहायक अध्यापक हिन्दी एवं सहायक अध्यापक कला में याचियों और other similarly placed students के फॉर्म पुनः औपबंधिक रूप से स्वीकार किए जाने से संबंधित है।

2-इसी प्रकार रिट याचिका संख्या-9614/2018 दिव्य प्रकाश मिश्रा व 32 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.04.2018, रिट याचिका संख्या-10257/2018 अमित मिश्रा व 01 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20.04.18, रिट याचिका संख्या-10147/2018 श्रीमती अर्चना मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20.04.18, रिट याचिका संख्या-10348/2018 रामकृष्ण शुक्ला व 08 अन्य बनाम उ०प्र०राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 23.04.18, रिट याचिका सं. 10158/2018 समीर रंजन बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20.04.2018, 10862/2018 सन्तोष कुमार सिंह व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 30.04.2018, 10731/2018 पंकज कुमार पाण्डेय बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.04.2018, 11041/2018 सत्येन्द्र कुमार सिंह व 07 अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.05.2018, 11057/2018 महेन्द्र सिंह बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.05.2018, 11004/2018 सिंहासन राम बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 02.05.2018, 11419/2018 अतुल कुमार श्रीवास्तव व अन्य बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 08.05.2018, 10688/2018 सुनीता सिंह बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 26.04.2018, रिट याचिका संख्या-12105/18 राजेश कुमार सिंह व 07 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 18.05.18, एवं रिट याचिका संख्या-12216/18 सुनील कुमार व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 21.05.2018 तथा रिट याचिका संख्या- 12596/18 अंजली त्रिपाठी व 06 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.05.18, रिट याचिका संख्या-12622/18 नीरज सेंगर बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 24.05.18, जो आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित है के साथ साथ रिट याचिका संख्या- 8175/2018 शरद प्रकाश निगम व 05 अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03.04.2018, रिट याचिका संख्या-9688/2018 भानु प्रताप यादव बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.04.2018, रिट याचिका संख्या-10310/2018 पंकज कुमार त्रिपाठी उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20.04.2018, रिट याचिका संख्या-10284/2018 सोनल देवी बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 11.04.2018, रिट याचिका संख्या-10283/2018 मनोज कुमार बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20.04.2018, 10548/2018 नाम पाल सिंह बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25.04.2018, 10759/2018 ऋतु शर्मा व 04 अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.04.2018 तथा याचिका सं. 9816/2018 निहारिका व 02 अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 20.04.2018, 11786/2018 श्रीमती सुनीता बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 15.05.2018 रिट याचिका संख्या-12374/18 प्रदीप सिंह बनाम राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 22.05.

18, जो सहायक अध्यापक कम्प्यूटर के आवेदन स्वीकार किए जाने विषयक है। उक्त याचिकाएं जो सहायक अध्यापक कम्प्यूटर एवं अधिव्यस्कता से संबंधित हैं, में केवल याचियों के फॉर्म स्वीकार करने के अन्तरिम आदेश मा. न्यायालय द्वारा दिए गए हैं। उक्त समस्त रिट याचिकाओं के अन्तरिम आदेशों के अनुपालन के क्रम में सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष/महिला) परीक्षा 2018 से सम्बन्धित सहायक अध्यापक हिन्दी एवं सहायक अध्यापक कला में याचियों एवं other similarly placed students तथा सहायक अध्यापक कम्प्यूटर एवं आयु सीमा में छूट से सम्बन्धित केवल याचीगणों को ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिनांक 04.06.2018 से दिनांक 14.06.2018 तक का समय निर्धारित किया जाता है। तदनुसार ऑनलाइन आवेदन किया जाना सुनिश्चित करें। याचिका संख्या—9739/18 बालकृष्ण व 94 अन्य बनाम उ0प्र0 अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 13.04.2018 के अनुपालन में दिनांक 16.04.2018 को उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन आयोग को उपलब्ध कराया था, उन्हें भी विज्ञप्ति में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करना होगा ऐसे अभ्यर्थी अपने ऑफलाइन आवेदन के साथ जमा किए गए बैंक ड्राफ्ट को अपना पहचान पत्र दिखा कर प्राप्त कर सकते हैं।

3—उक्त पुनः निर्धारित तिथियों के पूर्व यदि अभ्यर्थियों/याचियों द्वारा सहायक अध्यापक (हिन्दी), सहायक अध्यापक (कला), आयु में छूट एवं सहायक अध्यापक कम्प्यूटर विषय में गलत तथ्यों पर "YES" करके ऑनलाइन आवेदन किया गया है तो उन्हें मा. उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में पुनः आवेदन करना होगा अन्यथा जिस स्तर पर यह तथ्य प्रकाश में आएगा कि इनके द्वारा गलत सूचना के आधार पर ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किया गया है उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। याचिकाओं में मा. न्यायालय द्वारा कोई अंतिम आदेश न देते हुए याचियों को केवल फॉर्म जमा करने का अन्तरिम आदेश दिया गया है और उक्त सभी याचिकाएं मा. न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन हैं।

**ऑनलाइन आवेदन करने वालों अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक सूचना:—**

आयोग की वेबसाइट <http://uppsc.up.nic.in> पर "**Click here to apply for Assistant Teacher (Trained Graduate Grade) Examination-2018 under Advt. No.(A-1/E-1/2018) Dated 15.03.2018**" पर क्लिक करके दिए गए निर्देशों का अध्ययन एवं पालन करते हुये ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी "**Click Here For View Process Flow**" पर क्लिक करके प्राप्त की जा सकती है।

4—सहायक अध्यापक (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी—पुरुष/महिला) परीक्षा, 2018 की परीक्षा दिनांक 24.6.2018 के स्थान पर 29.07.2018 को सम्पन्न होगी।

(अंजू कटियार)  
परीक्षा नियंत्रक